न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 734 / 2024
अनवान : –

1. रामस्वरूप पुत्र फुसदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ईश्वर पुत्र आदराम जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. ख्यालीराम पुत्र फुसदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
3. प्रकाश पुत्र आदराम जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
4. भीमदास पुत्र फुसदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
5. पालाराम पुत्र फुसदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः -01/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता स0 15 / 15 की कुल 12.5070 हैक्ट भूमि व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 599 / 357 की कुल 2.8160 हैक्ट वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भ्झूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण वादी व प्रतिवादीगणा का सींव व डोल से संबंधित झगड़ा रहता है। इसलिए वादी मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक हक व हिस्सा व कब्जा काश्त के वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया की रोही मौजा नीमला के ख0न0 183 की 2.4150 हैक्ट भूमि में से 1.265 हैक्ट भूमि प्रकाश पुत्र आदराम के पास रहेगी व रोही मौजा नीमला के ख0न0 534 / 2 की 5.1980 हैक्ट भूमि में से 1. 7207 हैक्ट भूमि ईश्वर के पास रहेगी तथा रोही मौजा नीमला के ख0न0 183 की 2.4150 हैक्ट भूमि में से 1.15 हैक्ट, ख0न0 182 / 1 की 1.3530 हैक्ट भूमि मे से 0.115 हैक्ट, ख0न0 534 / 2 की 5.1980 हैक्ट भूमि में से 1.7204 हैक्ट भूमि [illegible] पुत्र फुसदास के पास रहेगी व रोही मौजा नीमला के ख0न0 182 / 1 की 1.3530 हैक्ट [illegible] 1.238 हैक्ट, ख0न0 534 / 2 की 5. 1980 हैक्ट भूमि में से 1.7572 हैक्ट भूमि पालाराम पुत्र फुसदास के पास [illegible] तथा रोही मौजा नीमला के ख0न0 85 / 1 में से 1.7705 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा थिराना के ख0न0 900 / 687 में से 0.649 हैक्ट भूमि, ख0न0 904 / 679 में से 0.759 हैक्ट भूमि रामस्वरूप पुत्र फुलदास के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पास रहेगी तथा रोही मौजा नीमला के ख0न0 85/1 में 1.7705 हैक्ट भूमि व रोही मौजा थिराना के ख0न0 900/687 में से 1.408 हैक्ट भूमि भीमदास पुत्र फुसदास के पास रहेगी। उक्त राजीनामा मुताबिक खाता व लगान अलग किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि मुताबिक राजीनामा खाता व लगान अलग किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता स0 15/15 की कुल 12.5070 हैक्ट भूमि व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 599/357 की कुल 2.8160 हैक्ट वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं पक्षकारान की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर रोही मौजा रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता स0 15/15 की कुल 12.5070 हैक्ट भूमि व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 599/357 की कुल 2.8160 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. **प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार** रोही मौजा नीमला के ख0न0 183 की 2.4150 हैक्ट भूमि में से 1.265 हैक्ट भूमि
2. **प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार** रोही मौजा नी[illegible] ख0न0 534/2 की 5.1980 हैक्ट भूमि में से 1.7207 हैक्ट भूमि
3. **प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार** रोही मौजा [illegible] ख0न0 183 की 2.4150 हैक्ट भूमि में से 1.15 हैक्ट, ख0न0 182/1 की 1.3530 है[illegible] भूमि मे से 0.115 हैक्ट, ख0न0 534/2 की 5.1980 हैक्ट भूमि में से 1.7204 हैक्ट भुमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

4. **प्रतिवादी संख्या 5 खातेदार** रोही मौजा नीमला के ख0न0 182/1 की 1.3530 हैक्ट भूमि में से 1.238 हैक्ट, ख0न0 534/2 की 5.1980 हैक्ट भूमि में से 1.7572 हैक्ट भूमि
5. **वादी रामस्वरूप खातेदार** रोही मौजा नीमला के ख0न0 85/1 में से 1.7705 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा थिराना के ख0न0 900/687 में से 0.649 हैक्ट भूमि, ख0न0 904/679 में से 0.759 हैक्ट भूमि
6. **प्रतिवादी संख्या 4 खातेदार** रोही मौजा नीमला के ख0न0 85/1 में से 1.7705 हैक्ट भूमि व रोही मौजा थिराना के ख0न0 900/687 में से 1.408 हैक्ट भूमि

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए मुताबिक नजीरय नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:52 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 734/2024
अनवान : –

1. रामस्वरूप पुत्र फुसदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. ईश्वर पुत्र आदराम जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. ख्यालीराम पुत्र फुसदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
3. प्रकाश पुत्र आदराम जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
4. भीमदास पुत्र फुसदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
5. पालाराम पुत्र फुसदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 734 सन 2024 निर्णय दिनांक – 01/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर रोही मौजा रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता स0 15/15 की कुल 12.5070 हैक्ट भूमि व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 599/357 की कुल 2.8160 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. **प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार** रोही मौजा नीमला के ख0न0 183 की 2.4150 हैक्ट भूमि में से 1.265 हैक्ट भूमि
2. **प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार** रोही मौजा नीमला के ख0न0 534/2 की 5.1980 हैक्ट भूमि में से 1.7207 हैक्ट भूमि
3. **प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार** रोही मौजा नीमला के ख0न0 183 की 2.4150 हैक्ट भूमि में से 1.15 हैक्ट, ख0न0 182/1 की 1.3530 हैक्ट भूमि मे से 0.115 हैक्ट, ख0न0 534/2 की 5.1980 हैक्ट भूमि में से 1.7204 हैक्ट भुमि
4. **प्रतिवादी संख्या 5 खातेदार** रोही मौजा नीमला के ख0न0 182/1 की 1.3530 हैक्ट भूमि में से 1.238 हैक्ट, ख0न0 534/2 की 5.1980 हैक्ट भूमि में से 1.7572 हैक्ट भूमि
5. **वादी रामस्वरूप खातेदार** रोही मौजा नीमला के ख0न0 85/1 में से 1.7705 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा थिराना के ख0न0 900/687 में से 0.649 हैक्ट भूमि, ख0न0 904/679 में से 0.759 हैक्ट भूमि
6. **प्रतिवादी संख्या 4 खातेदार** रोही मौजा नीमला के ख0न0 85/1 में से 1.7705 हैक्ट भूमि व रोही मौजा थिराना के ख0न0 900/687 में से 1.408 हैक्ट भूमि

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए मुताबिक नजीरय नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2025 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:52 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर